न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **26/2018 अपील रसद**

श्री नन्दलाल पिता श्री लालचन्द जैन, निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर राशन डीलर उचित मुल्य दुकान गिंगला बी तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जॉच दल खाद्य एवं नागरीक आपुर्ति विभाग जयपुर
2. जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर (राज.)

.....**रेस्पोडेंटगण**

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर मुकदमा नम्बर 49/17 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री मन्नाराम डांगी, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रद्युम्नसिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—13.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट नन्दलाल जैन निवासी उथरदा उचित मुल्य की दुकान गिंगला बी तहसील सलुम्बर का डीलर हैं। उक्त दुकान का प्राधिकार पत्र 1997 से होकर निरंतर बिना किसी आरोप व शिकायत के नियमानुसार राशन वितरण करता रहा हैं। दिनांक 21.07.17 को गठित जॉच दल द्वारा सेन्टर की जॉच की गई। जॉच में 872 लीटर केरोसीन का अतिरिक्त वितरण किया जाना बताया गया है, 9.11 क्विंटल चीनी का भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होना

बताया गया हैं। जॉच हेतु गेहूॅ चीनी व केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये एवं पोस ट्रान्जेक्शन डिटेल के अनुसार डीलर द्वारा ऐसे फर्जी इन्द्राज करना पाया गया हैं। जिसका राशनकार्ड में इन्द्राज नहीं हैं। पोस मशीन के माध्यम से फर्जी वितरण कर 30 किलो गेहूॅ, 15 किलो चीनी व 10.50 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना भी बताया गया हैं। गम्भीर अनियमितताए मानते हुए थाना सलुम्बर में एफआईआर नम्बर 228/17 दर्ज की गई जिसमें पुलिस द्वारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चार्जशीट अति. मुख्य मजिस्ट्रेट सलुम्बर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। जबकि जॉच दल द्वारा अपीलान्ट को गलत आरोपित किया गया हैं। वास्तविकता यह है कि दी गई पोस मशीनो को चलाने की जानकारी हीं होने तथा मशीने चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई जिससे पोस मशीन के संचालन में तकनीकि गड़बड़ी के कारण वितरण सही नहीं बताया गया हैं। जबकि अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर कोई अनियमितता ईरादतन नहीं की गई हैं। पोस मशीन का अनुभव नहीं होने से गलती हुई हैं। वास्तविकता यह है कि जॉच दल द्वारा मनमाने तरीके से अनुचित प्रभाव बनाकर अपना टारगेट पुरा करने की दुर्भावना से तैयार किया गया हैं। जो स्टॉक उपलब्ध था उसे अपने प्रतिवेदन में जानबुझकर दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार जॉच दल द्वारा बनाया गया प्रतिवेदन विधिविरूद्ध तथा न्याय के मान्य सिद्धांतो के विपरीत होने से कानुनन स्वीकार योग्य नहीं हैं। 3/7 में भी अपीलान्ट द्वारा अस्वीकार किया है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के जवाब में आये तथ्यो तथा मामले की परिस्थिति को कानुन एवं न्याय की दृष्टि से जॉचे बिना जो आदेश दिनांक 10.05.18 को पारीत किया गया है वह कानुनन काबिले खारीज हैं। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने पर वैकल्पिक डीलर श्री झमकलाल को शेष खाद्य सामग्री तत्काल प्रभाव से सिपुर्द कर दी गई। जिसे झमकलाल द्वारा पोस मशीन से वितरण किया गया। जॉच दल द्वारा लगाये गये आरोप के स्टॉक रजिस्टर नहीं बताये

गये। मांगने पर भी नहीं दिखाये गयेे। जबकि सितम्बर 2016 से उचित मुल्य दुकान पर पोस मशीन का उपयोग प्रारम्भ होने के बाद स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की नियमानुसार आवश्यकता नहीं हैं। इस तथ्य को जॉच दल द्वारा जानबुझकर नजरअंदाज किया गया। अपीलान्ट पिछले विगत 20 वर्ष की अवधि में वितरण कार्य कर रहा हैं। वितरण के बारे में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई नाही कोई शिकायत उपभोक्ताओ की तरफ से हुई। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर सेन्टर गिंगला बी की वितरण व्यवस्था अपीलान्ट को पुनः दिलाये जाकर उसका प्राधिकार पत्र बहाल रखा जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 21.07.17 को अपीलान्ट की उचित मुल्य की दुकान सेन्टर गिंगला बी का जॉच दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जॉच दल द्वारा भौतिक सत्यापन पर 95 क्विंटल गेहूॅ स्टॉक के मुकाबले सही होना बताया गया। 872 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण होना बताया गया। 9.11 क्विंटल चीनी स्टॉक में कम पायी गई। जबकि अपीलार्थी द्वारा इस सेन्टर की वितरण व्यवस्था विगत 30 वर्ष से की जा रही हैं। इस अवधि में राशन वितरण के बारे में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई तथा ना ही कोई शिकायत उपभोक्ता की तरफ से हुई हैं। मात्र अपीलान्ट को दुर्भावना से स्थानीय राजनैतिक दबाव से झूठा फसाया गया हैं। अपीलान्ट पूर्णतया निर्दोष हैं। अपीलान्ट को गलत आरोपित किया गया हैं। पोस मशीन को चलाने की जानकारी नहीं होने से संचालन में तकनीकि गड़बड़ी के कारण वितरण सही नहीं बताया गया हैं। जबकि आरोपी द्वारा

जानबुझकर कोई अनियमितता ईरादतन नहीं की गई हैं। जो भी स्टॉक था वह स्टॉक भी वैकल्पिक व्यवस्था के डीलर उथरदा ए डीलर झमकलाल जैन को सिपुर्द कर दिया गया जिसके द्वारा भी इस खाद्य सामग्री को पोस मशीन से वितरण की गई हैं। जॉच दल द्वारा अपना लक्ष्य पुर्ण करने के लिये डीलर के खिलाफ दुर्भावना से रिपोर्ट तैयार की गई हैं। पुलिस द्वारा जो प्रकरण बनाया गया है जिसे भी अपीलार्थी अस्वीकार करता हैं। जब अपीलार्थी का कोई गलत कार्य करने का मिनसरिया ही नहीं था नाही कोई गलत कार्य किया है मात्र तकनीकि त्रुटी हुई हैं। यदि अपीलान्ट के मन में कोई दुर्भावना होती तो गेहूॅ का स्टॉक पूर्ण नहीं मिलता। अपीलान्ट द्वारा इस उचित मुल्य की दुकान की वितरण व्यवस्था लम्बे समय से की जा रही हैं। दुकान से लगे किसी उपभोक्ता द्वारा आज दिन तक शिकायत नहीं की गई हैं। जहॉ तक स्टॉक व वितरण रजिस्टर नहीं पाये जाने तथा मांगने पर नहीं दिखाने का जो आरोप लगाया गया है वह भी गलत हैं। क्योंकि उचित मुल्य की दुकान पर पोस मशीन का उपयोग करने के बाद सारा रेकार्ड सामग्री का स्टॉक बिक्री व वितरण के सारे आंकड़े पोस मशीन में ही उपलब्ध रहते है जिसका ऑनलाईन निरीक्षण करने का प्रावधान हैं। इस तथ्य को जानबुझकर नजरअंदाज कर अपीलान्ट को आरोपित किया हैं। जो कानुनन गलत हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.18 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल कर सेन्टर की वितरण व्यवस्था पुनः प्रदान की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि जॉच दल द्वारा अपीलान्ट की दुकान गिंगला बी का निरीक्षण दिनांक 21.07.17 को किया गया। सेन्टर का भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 95 क्विंटल गेहूॅ उपलब्ध मिला जो स्टॉक के मुकाबले सही पाया गया। परन्तु डिलर के पास में दिनांक

01.09.16 से 20.07.17 की अवधि में कुल 7540 लीटर केरोसीन प्राप्त हुआ और इस अवधि में पोस मशीन के माध्यम से 8412 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया यानिकी 872 लीटर केरोसीन का अवैध ट्रांजेक्शन दर्शा दिया गया हैं। भौतिक सत्यापन पर स्टॉक शून्य मिला। इसी प्रकार डीलर के पास में स्टॉक के मुकाबले 9.11 क्विंटल चीनी पोते होनी चाहिये थी। जो स्टॉक में नहीं पायी गई। जॉच करने पर पोस मशीन के माध्यम से 30 किलो गेहूॅ, 15 किलो चीनी व 10.50 लीटर केरोसीन का फर्जी वितरण कर दुरूपयोग किया गया हैं। इस संबंध में डीलर द्वारा गम्भीर अनियमितता किये जाने से अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 228/17 धारा 3/7 ईसीएक्ट के तहत थाना सलुम्बर में दर्ज करवायी गई थी। थानाधिकारी सलुम्बर द्वारा गहन अनुसंधान कर अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 साबित पाये जाने से चार्जशीट संख्या 33/18 दिनांक 28.02.18 कता की गई। ऐसी स्थिति में डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र शर्त का एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो का उल्लंघन करना पाया गया हैं। जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र खारीज किया गया हैं। जो उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा 872 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रांजेक्शन कर पोस मशीन में वितरण बताया गया हैं। स्टॉक के मुकाबले 9.11 क्विंटल चीनी भी कम मिली। पोस मशीन डिटेल के अनुसार अपीलार्थी द्वारा फर्जी इन्द्राज कर 30 किलो गेहूॅ, 15 किलो चीनी, 10.50 लीटर केरोसीन का भी दुरूपयोग किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण

का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकारी पत्र की शर्तो का एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो का उल्लंघन करना पाया गया है जिसके तहत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर